न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 96 / 2019 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :–

1.हरचन्दराम 2.देमाराम 3.वीरमाराम पि.जसौताराम
जाति विश्नोई, निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1.लाधुराम 2.नाथूराम पि.गंगाराम, जाति विश्नोई
निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन
3.भीखीदेवी पुत्री गंगाराम पत्नि किशनाराम
जाति विश्नोई, निवासी उपरला, तहसील चौहटन
4.तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी * चौहटन *

वकील प्रार्थीगण :– श्री पवन धारीवाल , श्री रामजीवन विश्नोई

वकील विप्रार्थीगण :– श्री मोहनसिंह सोढ़ा

निर्णय

दिनांक 27.05.2025

प्रार्थीगण हरचन्दराम पुत्र जसैताराम, जाति विश्नोई, निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा चौहटन [illegible] तहसील चौहटन जिला बाडमेर मे खसरा नं. 528, 529 रकबा क्रमशः [illegible] बीघा, 29 [illegible] बीघा का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई [illegible] के समय प्रार्थी[illegible]की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर [illegible] है। जिससे प्रार्थीग[illegible]नी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के खातेदारी के खेत खसरा सं. 1569 / 531 रकबा 03.10 बीघा मे से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.30 12:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह सोढ़ा ने वकालतनामा पेश किया । विप्रार्थी सं. 3 की फौतगी पर कायम मुकाम और संशोधित पेश किये गये। विप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद पेश नहीं किया अतः अवसर बन्द किया गया। चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 03 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण अधिवक्ता अनु.। अतः विप्रार्थीगण अधिवक्ता के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1569/531	03.10	बा.सो.	20 फीट	00.05 बीघा	चौहटन आगोर	लधूराम पुत्र गंगाराम वगैरा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थ[illegible] और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रक[illegible]रा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम [illegible]2 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि [illegible] क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ [illegible] द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.30 12:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (**b**) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ... तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। ... तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.30 12:26:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौडे रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया तथा 20 फीट चौडा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.30 12:26:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 04/07/2022 06:45:20 PM

जिला : बाडमेर तहसील : चौहटन भू. अ. नि. क्षेत्र : चौहटन

पटवारी हल्का : चौहटन ग्राम : चौहटन आगोर

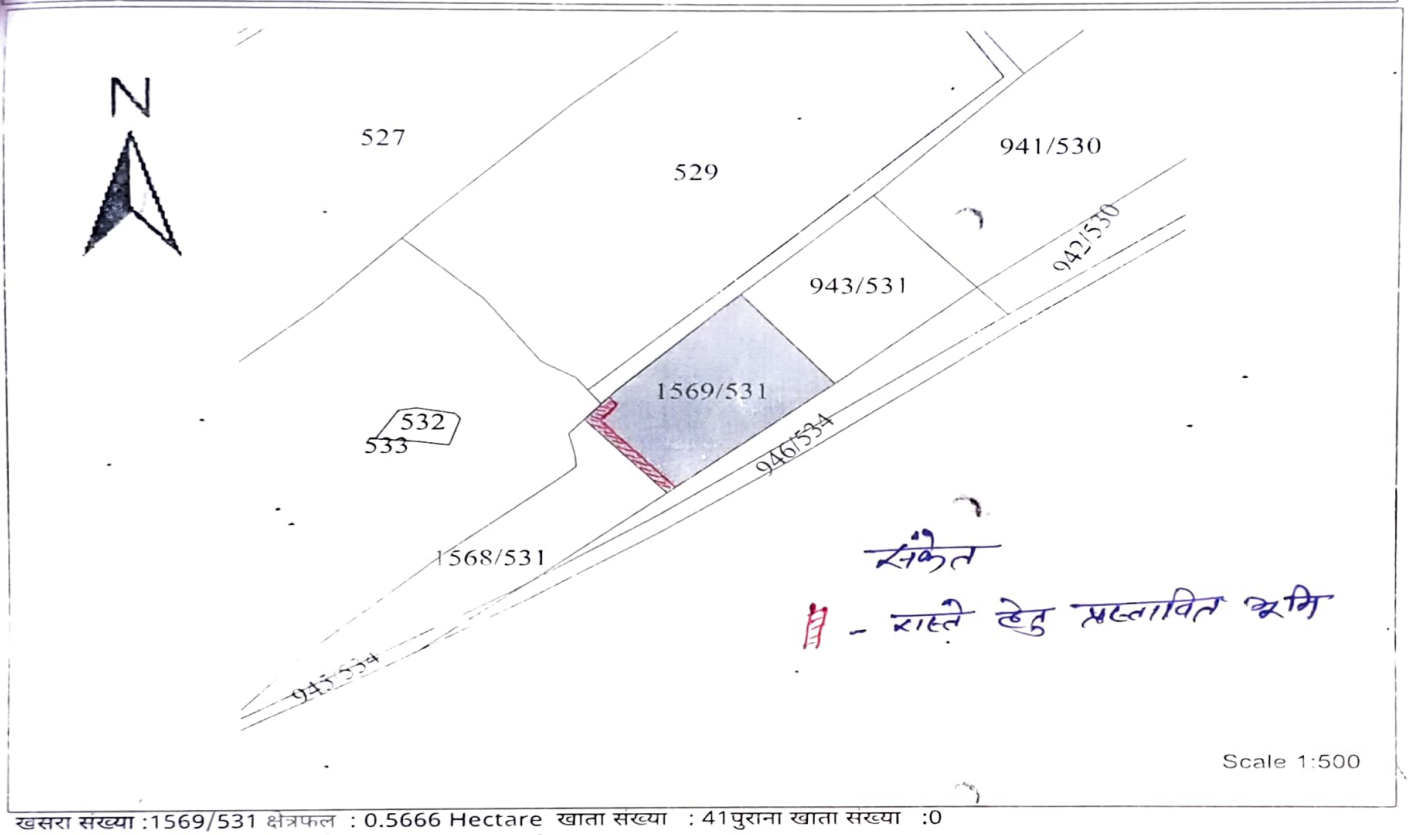

खसरा संख्या :1569/531 क्षेत्रफल : 0.5666 Hectare खाता संख्या : 41पुराना खाता संख्या :0

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [0.5666, 0.18]

2.) नाथुराम पुत्र गंगाराम हिस्सा- 1/3 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

3.) लाधुराम पुत्र गंगाराम हिस्सा- 1/3 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

1.) धाई पत्नि गंगाराम हिस्सा- 1/3 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

रास्ते हेतु निःशुल्क जावे।

Extract

... अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.30 12:26:10 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के ...
३. प्रविष्टियों में सशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

तहसीलदार चौहटन

दमाराम

किशनाराम